विशिष्ठ न्यायाधीश, बाल न्यायालय, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री अरूण कुमार अग्रवाल-1

R.J.S. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या	-	1002/2022
एफ.आई.आर. संख्या	-	203/2022
पुलिस थाना	-	दानपुर, जिला बांसवाड़ा
अपराध अन्तर्गत धारा	-	79 जे.जे. एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा	-	439, दण्ड प्रक्रिया संहिता

परेश जैन पुत्र स्व. श्री सुजानमल जैन, आयु 42 वर्ष, निवासी छोटी सरवन, पुलिस थाना दानपुर, जिला बांसवाड़ा (राज.)

– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बांसवाड़ा (राज.)

- अप्रार्थी

उपस्थित :

अधिवक्ता श्री चन्द्रेश मेहता : अभियुक्त की ओर से।

लोक अभियोजक श्री गिरिश डांगर : राज्य की ओर से ।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 28.11.2022</u>**

1- प्रार्थी/अभियुक्त परेश जैन की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439, द.प्र.सं. के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.11.2022 को रणजीतसिंह, सउनि थाना दानपुर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 21.11.2022 को दौराने गश्त मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर छोटी सरवन में कनक ट्रेडर्स किराना स्टोर पर पहुंचे जहां पर दुकान पर नाबालिग कार्य करते मिला, जिसकी फोटोग्राफी जरिये मोबाईल की गई। नाबालिग बालक को सांत्वना देकर नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम गुड्डु पुत्र मनसुख डिंडोर होना बताया तथा दुकानदार का नाम परेश होना बताया तथा परेश द्वारा प्रतिदिन काम के बदले 150/- रूपये देना बताया। दुकान मालिक के बारे में पूछा तो बाहर होना बताया। जिस पर बालश्रमिक के पिता मनसुख पुत्र धनजी को तलब किया जो मौके पर उपस्थित आया। इस प्रकार दुकान मालिक परेश का उक्त कृत्य नाबालिग बालकों का शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण कर निजी अर्थोपार्जन हेतु नियोजित करना

अपराध धारा 79 जे.जे. एक्ट का बनना पाया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना दानपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 203/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज की जाकर अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

3- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा अन्तर्वलित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को आज दिनांक 28.11.2022 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अत: प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

4- विद्वान लोक अभियोजक ने इसका कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिस द्वारा अभी तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 79 का अपराध प्रमाणित पाया जाना बताया गया है। मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है एवं मामले के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

6- फलत: प्रार्थी/अभियुक्त **परेश जैन पुत्र स्व. श्री सुजानमल जैन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439, द.प्र.सं. स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी न्यायालय हाजा के संतोषप्रद, न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे उपस्थिति हेतु 25-25 हजार रूपये की दो जमानतें एवं 50 हजार रूपये का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें तथा उसकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो तो, उसे इस प्रकरण में तुरन्त जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
बाल न्यायालय, बांसवाड़ा

8- आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
बाल न्यायालय, बांसवाड़ा